M.A (1st semster)
सत्याग्रह के सम्बंध में गांधी जी के विचार।

द्वारा

अंजनी कुमार घोष

महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस उपाय का प्रयोग किया, वह सत्याग्रह है। उनका यह सिद्धान्त सत्य की अवधारणा पर आधारित है। सत्य के प्रबल समर्थक होने के नाते गांधी जी का मानना था कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। इसे वहां पर निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया। लेकिन गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अलग-अलग है। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक साधनों पर आधारित तकनीक है। इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सत्य इसका आधार है। इसमें आत्मबल रूपी शस्त्र का ही प्रयोग किया जाता है। यह एक आदर्श है, कर्म योग का एक व्यावहारिक दर्शन है और एक क्रियाशील अवधारणा है। साधारण शब्दों में सत्याग्रह-सत्य + आग्रह दो शब्दों के मेल से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है-सत्य पर आरुढ़ रहकर बुराई का विरोध करना। यह असत्य का विरोध है व हर अवस्था में सत्य को पकड़े रहना है। हिंसा, भय और मृत्यु इसे विचलित नहीं कर सकते। यह सत्य के लिए एक तपस्या है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में इसे 'आत्मा का बल' भी कहा है।

सत्याग्रह का अर्थ है-"सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना।" यह आत्मबल का शारीरिक बल अथवा पशुबल के साथ संघर्ष है। यह सभी प्रकार के अन्याय और शोषण के विरुद्ध आत्मा की शक्तिका प्रयोग है। इसका उद्देश्य विरोधी को दबाना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। इस प्रकार सत्याग्रह विरोधी का हृदय परिवर्तन करने की कार्यवाही है। इसके लिए हिंसात्मक साधनों या किसी प्रकार के दबाव का प्रयोग वर्जित होता है।

गांधी जी ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है-"सत्याग्रह से अभिप्राय विरोधी को पीड़ा या कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट सहकर सत्य पर डटे रहना अथवा सत्य की रक्षा करना है।" दूसरे शब्दों में कह सकते हैं-"सत्याग्रह रक्षा है, यह रक्षा विरोधियों को कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट सहकर की जाती है। यह सच्चाई के लिए तपस्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है।' जी0एन0 धवन के अनुसार-"सत्याग्रह अहिंसक साधनों द्वारा सत्यपूर्ण लक्ष्यों के लिए निरन्तर प्रयत्न है।" वी0पी0 वर्मा के अनुसार-"सत्याग्रह का अर्थ अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध शुद्ध आत्म-शक्ति का प्रयोग है।" कृष्णलाल श्री धारणी ने इसे 'अहिंसक कार्यवाही' कहा हे। एन0 के बोस ने इसे 'अहिंसक तरीकों द्वारा युद्ध का संचालन करने का तरीका' कहा है। साधारण रूप में यह 'सत्य के लिए तपस्या' है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह सब प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध विशुद्ध आत्मबल का प्रयोग है, जिसमें हिंसा का प्रयोग लेशमात्र भी नहीं होता। इससे विरोधी का हृदय परिवर्तन इस तरह से किया जाता है कि दूसरा स्वत: ही सत्याग्रह के नियमों में विश्वास करने लगता है। राजनीतिक शब्दावली में इसे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने का शांतिपूर्ण शस्त्र भी कहा जा सकता है।

सत्याग्रह की विशेषताएं

गांधी जी ने 'यंग इण्डिया' और 'हरिजन' पत्रिकाओं में सत्याग्रह सम्बन्धी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके आधारों पर सत्याग्रह की विशेषताएं हैं:-

सत्याग्रह आत्म-बल का प्रयोग है – गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह में पाश्विक या शारीरिक बल की बजाय आत्म-बल का ही प्रयोग किया जाता है। आत्म-शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी व्यक्ति कितना ही अत्याचारी व अन्यायी क्यों न हो, उसे भी आत्मबल से जीता जा सकता है। सत्याग्रह आत्म-बल रूपी शस्त्र से विरोधी का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वह बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्यार से, असत्य को सत्य से तथा हिंसा को अहिंसा से जीतने पर बल देता है। सत्याग्रह आत्म-बल पर आधारित नैतिक शस्त्र होने के नाते अधिक प्रभावशाली होता है। सच्चा सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट देने की बजाय प्यार से उसे अच्छे-बुरे का भेद कराकर उसे न्याय की ओर प्रेरित करता है। इस तरह यह आत्म-बल द्वारा अत्याचारी के हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया है। स्वयं कष्ट सहना सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है – गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का हृदय जीत सकता है। सत्याग्रह का यह आवश्यक नियम है कि एक सच्चा सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाए, दूसरों को कष्ट न दे। स्वयं कष्ट भोगना तथा अन्याय का विरोध करना ही सत्याग्रह है।

सत्याग्रह स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। सत्याग्रही परमार्थ हेतु स्वयं कष्ट उठाकर सत्य व न्याय की रक्षा करता है। सच्चा सत्याग्रही वही होता है जो समस्त दु:खों को स्वयं सहे और समस्त सुखों को प्राणीमात्र की भलाई के लिए अर्पित कर दे। सत्याग्रही पर जितने अधिक दु:ख आते हैं, वह जितने अधिक दु:ख सहता है, उसी से वह पूर्णता की तरफ अग्रसर होता है। जिस तरह सोना आग में तपकर कुन्दन बनता है, उसी तरह अधिक से अधिक कष्टों के माध्यम से गुजरकर सच्चा सत्याग्रही तैयार होता है। यही सत्याग्रह का अटल व शाश्वत् नियम है। दु:खों से ही सुखों का जन्म होता है। कोई भी देश दु:खों के बिना सुख नहीं भोग सकता। भारत ने कष्ट सहकर की स्वतन्त्रता का आनन्द उठाया है। आत्मपीड़न ही सत्याग्रह के सिद्धान्त का आधार है। जो कष्ट सहता है या आत्मपीड़न से गुजरता है, वही सुखों को भोगता है। इससे उसकी आत्मा पवित्र होती है। जनता उसके पक्ष में होकर उसी को औचित्यपूर्ण ठहराती है। सत्याग्रह विरोधी के हृदय को विवेक तथा अपील से बदलता है – सत्याग्रह में विरोधी को अपनी बात मनवाने के लिए किसी भय या दण्ड का प्रयोग वर्जित होता है। सत्याग्रह विवेक पर आधारित होता है। सत्याग्रही अन्यायी या अत्याचारी के हृदय को किसी कष्ट या दण्ड का भय दिखाकर नहीं बदलता, बल्कि उसक तर्क-बुद्धि के आधार पर हृदय परिवर्तन के लिए तैयार करता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि विरोधी व्यक्ति स्वयं यह अनुभव करता है कि वह गलत या अनुचित कार्य कर रहा है। वह स्वयं तर्क-बुद्धि के अनुसार अन्याय व अत्याचार का रास्ता छोड़कर न्याय की तरफ अग्रसर होने लगता है।

सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं – गांधी जी का मानना है कि हिंसा को हिंसा से नहीं जीता जा सकता। प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो पाश्विक बल को भी काबु कर सकती है। हिंसा से समाज में अराजकता पैदा होती है। अन्याय और अत्याचार कम होने की बजाय तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए अहिंसा ही एक ऐसा उपाय है जो समाज में व्याप्त हिंसा का नामोनिशान मिटा सकता है। गांधी जी ने कहा है-"अहिंसा मनुष्य के पास परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है।" अत: सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है – गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी उत्पत्ति राज्य से न होकर, आत्मा से हुई है। यह अधिकार होने के साथ-साथ एक कर्त्तव्य भी है। यदि कोई भी शासक या सरकार जन-कल्याण की उपेक्षा करने लग जाए या अन्यायी अत्याचारी हो जाए तो उसका विरोध करना प्रजा का परम कर्त्तव्य बन जाता है। लेकिन विरोध हर परिस्थिति में अहिंसात्मक ही होना चाहिए।

सत्याग्रह का सार्वभौमिक प्रयोग – गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें सार्वभौमिकता का गुण भी विद्यमान है। सत्याग्रह में खुला व्यवहार – गांधी जी कहना है कि सत्याग्रह में कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। सत्याग्रही का प्रत्येक कार्य जन समर्थक होना चाहिए। छिपाकर किया गया कार्य अविश्वास को जन्म देता है। इससे सत्याग्रह का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। गांधी जी ने कहा है-"जितने खुले रूप से आप बात करोगे उतने ही आप सत्यपूर्ण होंगे।" इसमें छल-कपट, धोखा, बेईमानी आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। इसी पर सत्याग्रह की सफलता निर्भर करती है।

अच्छे साध्य और अच्छे साधन – गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त सभी साधन भी साध्य के अनुकूल ही होने चाहिए। यदि सत्याग्रह का लक्ष्य (साध्य) उचित है तो उसे प्राप्त करने में अच्छे साधनों का प्रयोग अपरिहार्य है। अच्छा साध्य अच्छे साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि सत्याग्रह सामाजिक हित के लक्ष्य (साध्य) को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे अच्छे साधनों द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि साध्य ही गलत है तो अच्छे साधन भी असफल सिद्ध होते हैं। सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है – गांधी जी के दर्शन में व्यक्तिगत हित की बजाय सामाजिक हित को प्राथमिकता दी गई है। गांधी जी का कहना है कि कोई भी सत्याग्रही आन्दोलन तभी सफल हो सकता है, जब वह सामाजिक हित की दृष्टि से किया जाए। स्वार्थ की भावना से किया गया सत्याग्रह सदैव निष्फल रहता है। जो बात न्याय व सत्य के विपरीत हो उसको सत्याग्रह से जीतना कठिन होता है। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्तिगत हित की बजाय सामाजिक हित के लिए करने का समर्थन किया है।

सत्याग्रह के तरीके –

गांधी जी ने सत्याग्रह के साधन या तरीके बताए हैं-

बातचीत द्वारा समझौता – गांधी जी का मानना था कि किसी भी प्रकार की सामाजिक या राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम समझौतेका प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर किसी मध्यस्थ की मदद भी लेनी चाहिए। विरोधी पक्ष को उसकी गलती का अहसास कराने का प्रयास करना चाहिए। समझौते की शर्तें मानने योग्य होनी चाहिए। विरोधी पर अनुचित

दबाव डालकर समझौते का प्रयास नहीं करना चाहिए। गांधी जी का कहना था-"जिस प्रकार सत्याग्रही संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहता है, उसी तरह उसे शान्ति के लिए तैयार रहना चाहिए।"

असहयोग – गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं, बल्कि जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। यदि सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त न हो तो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसलिए यदि कोई सरकार या संस्था अन्याय व अत्याचार करती है तो उसकी नीतियों व कानूनों को मानना बन्द कर देना चाहिए। जिस प्रकार प्रजा की सेवा करना सरकार या शासक का धर्म है, उसी प्रकार शासक की आज्ञा का पालन करना जनता का धर्म होता हे। सहयोग, त्याग एक न्यायपूर्ण धार्मिक सिद्धान्त है। सरकार के अत्याचारी होने पर उसको असहयोग देना जनता को शाश्वत् धर्म है। इसमें किसी भी रूप में हिंसक उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आन्दोलन चलाया तो वकीलों ने अदालतों का, जनता ने विदेशी माल का, विद्यार्थियों ने कक्षाओं का, सार्वजनिक समारोहों का तथा उपाधियों की वापसी जैसे कार्य किए। गांधी जी ने इस कार्यक्रम को पूर्णतया अहिंसा पर आधारित रखा।हड़ताल – गांधी जी ने हड़ताल को भी सत्याग्रह का आवश्यक व प्रभावशाली शस्त्र माना है। गांधी जी ने कहा था कि हड़ताल उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए। अनुचित कारणों से की गई हड़ताल न तो कभी सफल होती है और न ही उसे जन समर्थन मिल पाता है। हड़ताल कानूनी दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। हड़ताल से आशय किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए समस्त गतिविधियों को बन्द करना है। ताकि सरकार तथा जनता का ध्यान उस अन्याय की तरफ आकृष्ट हो जिसके कारण हड़ताल की जा रही है। हड़ताल अन्याय के विरुद्ध की जा रही होती है। इसलिए हड़ताल के दौरान कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। हड़ताल करने के लिए किसी पर कोई दबाव या प्रलोभन न देना चाहिए। हड़ताल बार-बार न की जानी चाहिए। इससे इसका महत्व कम हो जाता है। जनता को अनावश्यक परेशानी पैदा होती है। इस तरह गांधी जी ने हड़ताल को विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक कार्यवाही पर आधारित रखने का विचार दिया है।

उपवास – गांधी जी ने उपवास को भी सत्याग्रह का महत्वपूर्ण साधन बताया है। गांधी जी के अनुसार-"उपवास अहिंसा के शस्त्रागार में सबसे अधिक प्रभावशाली व फलदायक शस्त्र है।" इसके दो उद्देश्य आत्म-शुद्धि तथा असत्य व अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार है। यह सबसे कठिनतम अस्त्र है। यह अस्त्र सरकार को कमजोर करता है, जनता की आत्म-शक्ति में वृद्धि करता है तथा विरोधी पक्ष की सद्मार्ग की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। इसमें विरोधी को कष्ट देने की बजाय स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। इस अस्त्र का प्रयोग करने के लिए किसी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जिस व्यक्ति को अपने आत्म-बल पर भरोसा है वही इसका सफल प्रयोग कर सकता है। गांधी जी ने उपवास को व्यापक अर्थ में स्पष्ट करते हुए कहा है-"उपसास आत्मा की शुद्धि के लिए केवल अन्न ग्रहण न करना नहीं है, बल्कि मन के सभी विकारों को मुक्त करना या होना है। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के दौरान चौरा-चौरी घटना से दु:खी होकर असहयोग आन्दोलन को बन्द कराने के लिए 5 दिन का उपवास रखा था।

सवनिय अवज्ञा – सविनय अवज्ञा को गांधी जी ने सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र माना है जिसका उद्देश्य अनैतिक नियमों को तोड़ना है। यह असहयोग की अन्तिम अवस्था है। गांधी जी का कहना है कि विनयपूर्वक सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों को मानने का अर्थ है-स्वयं अन्याय में सांझेदार बनना, यदि कोई सत्याग्रही शासक का आज्ञाकारी रहता है तो उसका असहयोग निरर्थक है। इसलिए एक सभ्य पुरुष को अन्यायी शासन का अपने सम्पूर्ण आत्म-बल से विरोध करना चाहिए। इसका प्रयोग हृदय से आदरपूर्ण और संयत् होना चाहिए। अवज्ञा का कार्य पूर्ण रूप से अहिंसक होना चाहिए। 1930 में गांधी जी ने अहिंसक तरीके से नमक कानून भंग किया था। यह गांधी जी का 'सविनय अवज्ञा' का सफल प्रयोग था।

धरना – गांधी जी के अनुसार धरना एक वैध और उपयोगी साधन है। इसका उद्देश्य भी नैतिक है। यह जन-शिक्षा का माध्यम भी है, इसलिए यह मनुष्य के अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। यह बुराई या अन्याय के विरुद्ध मित्रता की चेतनावनी है। गांधी जी ने कहा है-"अहिंसक धरना देने वाले का यह कर्त्तव्य है कि वह जनमत को जगाए, उपयुक्त वातावरण तैयार करे, सामने वाले को चेतावनी दे और उसे हृदय परिवर्तन द्वारा वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराए।" गांधी जी ने धरने की शर्तें बताई हैं-

धरना पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए।

इसमें धमकी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

इसमें अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए।

इसमें विवेकपूर्ण प्रार्थना और पत्रिकाएं बांटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने विशुद्ध अहिंसात्मक उपायों का सहारा लेकर ही धरने पर बैठने व उसे सफल बनाने का सुझाव दिया है।

सामाजिक बहिष्कार – गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज हित के विपरीत आचरण करें और जनमत की अवहेलना करे तो उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। इस प्रकार का तरीका सरकारी चम्मचों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह सारी कार्यवाही पूर्ण से अहिंसक पर होनी चाहिए।
आर्थिक बहिष्कार – जब कोई व्यवसायी या व्यापारी अत्याचारी हो जाए, मजदूर वर्ग व किसान वर्ग के हितों की अनदेखी करने लगे तो उसके सामान का प्रयोग करना बन्द कर देना चाहिए। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए इस साधन का प्रयोग भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान किया था।
हिजरत – इसका अर्थ है-देश छोड़कर चले जाना। गांधी जी ने कहा हे कि जब शासक या सरकार इतनी अधिक अन्यायी व अत्याचारी हो जाए कि उसके अत्याचारों को सहन करना जनता के वश की बात न रहे तो जनता को वह राज्य छोड़ देना चाहिए और कहीं ओर चले जाना चाहिए। हजरत मुहम्मद पर जब धाम्रिक कट्टरपंिथ्यों ने मक्का में अत्याचार किए तो वे मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में भी काठियावाड़ की रियासत एक ऐसा ही उदाहरण दिया है। जब काठियावाड़ की रियासत पर राजा ने अत्याचार इतने अधिक किए कि उनको सहन करना जनता के वश में नही रहा तो जनता ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया था। राजा ने इससे घबराकर उन पर अत्याचार न करने की प्रतीज्ञा की और प्रजाजन वापिस लौटने लगे। गांधी जी ने कहा है कि इस प्रकार का उपाय अन्तिम साधन के रूप में ही अपनाना चाहिए अर्थात् जब जनता के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो जाए तो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए।

सत्याग्रही के आवश्यक नियम –
गांधी जी ने सत्याग्रह के कुछ नियम भी बताएं हैं। ये नियम अपनाने वाले व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही होता है। ये नियम हैं-
सत्याग्रही के मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए।
सत्याग्रही को क्रोध नहीं करना चाहिए।
सत्याग्रही को सभी प्रकार के कष्ट और अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सत्याग्रही के मन में विरोधी के प्रति कोई घृणा या हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए।
सत्याग्रही को पवित्र जीवन बिताना चाहिए।
सत्याग्रही को शान्तिपूर्वक व अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करना चाहिए।
सत्याग्रही को आत्म-बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए।
सत्याग्रही को सत्य व न्याय की पहचान होनी चाहिए।
सत्याग्रही का बल कष्ट सहन करने में है।
सत्याग्रह का आधार केवल त्याग और तपस्या है।
सत्याग्रह को विनयी व दयावान होना चाहिए
सत्याग्रह को किसी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए अर्थात् वह निर्भयी होना चाहिए।
सत्याग्रही को धर्म का ज्ञान होना चाहिए।
सत्याग्रही की आत्मा पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि सत्याग्रह का मूलमन्त्र अत्रात्मा की पवित्रता है।
सत्याग्रह के लिए मृत्यु, मोक्ष और जेल स्वतन्त्रता का द्वार है।
सत्याग्रही को किसी भी प्रकार के अन्याय व अत्याचार के आगे नहीं झुकना चाहिए।
सत्याग्रह में पराजय के लिए कोई स्थान नहीं है।
सत्याग्रही सत्ता का इच्छुक नहीं होता।
सत्याग्रही संख्या पर नहीं, आत्मा में विश्वास करने वाला होना चाहिए।
सत्याग्रही में अहंकार की भावना नहीं होना चहिए।
सत्यागही को समझौतावादी होना चाहिए।
सत्याग्रही को ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए।
सत्याग्रह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
सत्याग्रही में आत्म-अवलोकन का गुण होना चाहिए।
सत्याग्रही को अनुशासनप्रिय होना चाहिए।

इस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह की सफलता के लिए जो नियम बताए हैं, उन पर चलकर ही कोई भी व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रह का रास्ता बड़े सोच विचार के बाद ही अपनाना चाहिए। इस रास्ते पर आ जाने पर बिना उद्देश्य प्राप्त किए वापिस लौटना सत्याग्रही के आचरण के विरुद्ध होता है। इसलिए सत्याग्रही को चाहे कितने ही कष्ट उठाने पड़े, सत्याग्रह से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।

आलोचना

यद्यपि गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धान्त भारतीय राजनीतिक चिन्तन में काफी महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। लम्बे समय से इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता रहा है। लेकिन व्यावहारिक रूप में यह सिद्धान्त कम ही सफल रहा है और बहुत ही कम व्यक्तियों ने सत्याग्रही बनने का प्रयास किया है। इसलिए यह कोरा आदर्शवाद ही बनकर रह गया है। अनक विद्वानों जैसे आर्थर मोर ने इसे 'मानसिक पीड़ा;' सी0एम0 केस ने इसे 'जबरन उत्पीड़न' (coercive suffering) कहकर इसकी आलोचना की है। इसे राजनीतिक दबाव की संज्ञा भी दी जाती है। आलोचकों का कहना है कि इस सिद्धान्त का हर परिस्थिति व हर क्षेत्र में प्रयोग असम्भव है। जहां न्याय एवं मानवता के प्रति आदर है वहां तो सत्याग्रह का प्रयोग हो सकता है लेकिन निरंकुश शासनों में इसका प्रयोग और उसकी सफलता पूर्णता संदिग्ध है। आज कोई भी देश अहिंसक साधनों के सहारे नागरिकों की स्वतन्त्रता व सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। आज परमाणु युग में सत्याग्रह का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक देश की सीमाओं में तो इसको कुछ सफलता मिल भी सकती है, सीमाओं से बाहर इसकी सफलता की आशा न के बराबर है। इसलिए यह सिद्धान्त आधुनिक समय में अव्यावहारिक व असंगत है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि सत्याग्रह बड़ा भयानक शस्त्र है, इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। लेकिन इन आलोचनाओं की बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त की सफलता प्रयोगकर्त्ता पर निर्भर करती हैं गांधी जी ने इस सिद्धान्त का सफल प्रयोग करके दिखाया था। यदि आज व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि दे दी जाए तो इस सिद्धान्त का आज भी सफल प्रयोग किया जा सकता है। अत: सत्याग्रह का सिद्धान्त गांधी जी एक महत्वपूर्ण व शाश्वत् देन है।